तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	16/12/20 पक्षकारान ... पीठासीन अधिकारी ... मीटिंग ... प्रकरण/ स्थानान्तरण ... है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 16/12/20 को प्रस्तुत हो।
	16.12.20 पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251-ए का जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 24.12.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
24.12.20	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन गलत एवं विधि एवं मौके से विपरीत तथ्यों का अकंन होने प्रार्थना पत्र 251 अ के भिन्न मांग करने से प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित 1 सीपीसी दर0 स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि :–

आरआरटी 2008 (1) में Khayali Ram v/s Bham Anr. Pag no. 637 के विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि आदेश आराजी 32 व 17 से है जिनका आराजी ख.न. 36/6 सबंध नहीं है ऐसी सूरत में प्रार्थी का हित निहित नहीं होने से एवं प्रकरण लम्बा करने का से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र सही खारिज किया गया है और प्रार्थी यह स्पष्ट करने में रहा कि ख.न. 32 व 17 से सबंधित खातेदार ख.न. 36/6 से किस प्रकार संबध है। इसके में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रा.पत्र अपर कलक्टर द्वारा खारिज करना उचित था। जस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस निर्णय में यथावत रखा है इस प्रकार इस प्रकरण में भी यह पूर्णतया चस्पा होती हैं प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में ख.न. 1090 धित खातेदार का प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा व खातेदार से किस प्रकार हित निहित है में असफल रहा है एवं अपने प्रार्थना पत्र 251 अ में भी इस खेत ख.न. 1090 में से देने के स्ते की भी मांग नहीं की है। एवं यह आवेदन प्रकरण में अचानक लम्बा करने की नियत से या है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आरआरटी एक्ट का प्रकरण Sammary Trial है सका निस्तारण 90 दिन के भीतर भीतर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से उपर्युक्त निर्णय के आधार पर प्रार्थी का आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य भी नहीं है। पक्षकार जोड़ा जाना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए यह आदेश जारी किया जाता है कि

आदेश

प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ में अपने खेत में आवागमन हेतु ख.न. 1089 में से की मांग की है तथा विकल्प के रूप में ख.न. 1081 के पश्चिमी सींव से रास्ता चाहा है मगर ख.न. 1090 के खातेदारों को पक्षकार बनाना चाहाता है जबकि प्रार्थी द्वारा ख.न. 1090 में से की मांग तक नहीं की है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन गलत एवं विधि एवं मौके से तथ्यों का अकंन होने से एवं प्रार्थना पत्र 251 अ के भिन्न मांग करने से प्रा.पत्र आदेश 1 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी दर0 अस्वीकार किया जाता है।

क्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 15.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर